133

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

रा.पु.क्रं. निगरानी-398/2018 निगरानी-3485/2018/सिवनी/भू.रा. प्रस्तुत दिनांक 05.06.2018

रामेश्वर कलार पिता चूरामन कलार

निवासी ग्राम मेहता तह. घंसौर

जिला सिवनी (म.प्र.) ..... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

विवेक कुमार पिता कृष्णकुमार शिवहरे

निवासी ग्राम बम्होड़ी तह. घंसौर

जिला सिवनी (म.प्र.) ..... उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है :–

पुनरीक्षणाधीन आदेश –

न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर में दिनांक 19.04.2018 को निराकृत राजस्व अपील क्रमांक 0928/अपील/2016–17 जिसमें पक्षकार विवेक कुमार विरूद्ध रामेश्वर कलार रहे हैं से क्षुब्ध होकर वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

परिसीमा :–

विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.04.2018 को पुनरीक्षांतर्गत आदेश पारित होने से आज दिनांक 05.06.2018 को विहित समयावधि मे वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत है । परिसीमा की कोई बाधा नहीं है ।

प्रकरण के तथ्य :–

यह कि, प्रत्यर्थी/विवेक द्वारा तहसीलदार घंसौर (जिसे विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा ।) के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बम्होड़ी प.ह.नं. 69 रा.नि.मं. कहानी में स्थित भूमि खसरा नं. 169, 152, 157, रकबा क्रमशः 0.65, 4.24, 0.12 हे. भूमि वसीयतकर्ता स्व. चूरामन पिता सेवाराम शिवहरे के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी । उनके द्वारा एक वसीयतनाम उनके पक्ष में निष्पादित किया गया । वसीयतकर्ता चूरामन की दिनांक 01.10.2009 को मृत्यु हो गई अतः वसीयतनामा के आधार पर नाम दर्ज किया जावे । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया जिसका राजस्व प्रकरण क्रं. 28 (अ–6) 2009–10 रहा है । स्व. चूरामन के वारसानो कों नोटिस जारी किया गया । प्रकरण में उपस्थित साक्ष्यों दस्तावेज के आधार पर दिनांक 05.09.2016 को आदेश पारित कर प्रत्यर्थी/विवेक का आवेदन खारिज कर वसीयतकर्ता स्व. चूरामन के विधिक वारसानों के नाम दर्ज करने का आदेश वादग्रस्त भूमि पर पारित किया गया ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3485/2018/सिवनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20 –7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 0928/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.04.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार घंसौर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम बम्होरी प.ह.न. 69 में स्थिति भूमि खसरा नंबर 169, 152, 157, रकवा कमशः 0.65, 4.24, 0.12 है0 भूमि वसीयतकर्ता चूरामन पिता सेवाराम शिवहरे के नाम पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी उनके द्वारा एक वसीयतनामा उसके पक्ष में निष्पादित किया गया। वसीयतकर्ता चूरामन पिता सेवाराम शिवहरे की दिनांक 1.10.2009 को मृत्यु हो गई। वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करने का अनुरोध किया। तहसीलदार घंसौर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर इस्तहार का	

प्रकाशन किया गया तथा चूरामन के विधिक वारिसानों को सूचना पत्र जारी किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 5.9.16 को आवेदक का आवेदन निरस्त कर विधिक वारिसानों का फौती नामांतरण करने का आदेश दिया गया इससे से दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 7.7.17 को निरस्त कर तहसीलदार घंसौरी का आदेश स्थिर रखा गया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 0928/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.04.18 द्वारा अपील स्वीकार कर नामांतरण करने का आदेश पारित किया गया, इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में तर्क सुने। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनकी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार तहसील घंसौर द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि ग्राम बम्होरी प.ह.न. 69 स्थिति भूमि खसरा नंबर 169, 152, 157, रकवा कमशः 0.65, 4.24, 0.12 है0

भूमि वसीयतकर्ता चूरामन पिता सेवाराम शिवहरे के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी, जिनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा कमांक 29 दिनांक 25.9.2006 को भूमियां अनावेदक विवेक कुमार के नाम वसीयत की गई हैं। उक्त वसीयत को अनावेदक विवेक कुमार द्वारा साक्षी बृजमोहन एवं रामचरण के कथन द्वारा अंकित कराकर प्रमाणित कराया है।

4—मेरे द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि वसीयतकर्ता की पैतृक भूमि नहीं थी बल्कि बहुत वर्ष पूर्व रजिस्ट्री से कय की थी। तहसीलदार के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वसीयतकर्ता की पैतृक भूमि है और उसके विधिक वारिसानों का जन्म से ही अधिकार होता है, अगर वसीयतकर्ता द्वारा रजिस्ट्री से भूमि कय की थी तो उनके द्वारा विचारण न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत क्यों नहीं किये, अपर आयुक्त द्वारा अनुमान के आधार पर वसीयकतकर्ता द्वारा रजिस्ट्री से कय की गई भूमि बताया गया है। वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि का प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसके पश्चात भी अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि मानकर अनुविभागीय

अधिकारी एवं तहसीलदार घंसौर का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। ऐसे आदेश को स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 0928/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.04.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार घंसौर जिला सिवनी को प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिया जाता है कि वसीयत प्रमाणित होने पर वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करें, वसीयत प्रमाणित न होने पर उसके विधिक वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिक वारिसानों के नाम नामांतरण की कार्यवाही करें।

सदस्य